राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 105/2019

सुरसिंह कलारा —अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये शासन सचिव, शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक, संस्कृत शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
3. संयुक्त निदेशक, संस्कृत शिक्षा, जयपुर।
4. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर।
5. उप निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, उदयपुर संभाग, उदयपुर।

—प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 25.01.2019
आदेश की दिनांक : 07.10.2024

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री मनोज पारीक, अधिवक्ता
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री हेमन्त धारीवाल, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– चेतन राम देवड़ा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

प्रस्तुत अपील के अनुसार अपीलार्थी को राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा दिनांक 20.6.2008 के विज्ञापन के तहत किए गए चयन के अनुसरण में निदेशक, संस्कृत शिक्षा द्वारा जारी आदेश दिनांक 14.07.2010 (अनुलग्नक–1) द्वारा अध्यापक ग्रेड III (सामान्य) के पद पर नियुक्त किया गया। माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के कारण उस प्रक्रिया में मेरिट सूची संशोधित की गई थी, जिसके कारण अपीलार्थी और 12 अन्य कर्मचारियों को बाहर कर दिया। अपीलार्थी और अन्य 12 कर्मचारियों ने अपनी बर्खास्तगी को उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी। इस मामले का अंतिम निर्णय सर्वोच्च न्यायालय ने दिनांक 08.02.2018 (अनुलग्नक–2) के निर्णय के माध्यम से किया, जिसमें राज्य सरकार को निर्देश दिया गया था कि वह अपीलार्थी को अध्यापक ग्रेड III (सामान्य) के रूप में सेवा जारी रखे, उन्हें 13.08.2013 से वैध रूप से चयनित और नियुक्त माना जाए। संयुक्त निदेशक, संस्कृत शिक्षा ने आदेश दिनांक 03.07.2018 (अनुलग्नक–3) द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में सभी कर्मचारी (अपीलार्थी सहित) को दिनांक 13.08.2013 से सभी लाभ देने का निर्णय लिया गया। उन सभी को बीच की अवधि के लाभ तथा बकाया राशि दी गई। इस अवधि में आरपीएससी ने वर्ष 2013 में वरिष्ठ अध्यापक पद के लिए विज्ञापन निकाला, जिसमें अपीलार्थी उपस्थित हुआ तथा संस्कृत विभाग की ओर से कोई आपत्ति न होने पर उसका

चयन हो गया। नियुक्ति आदेश उपनिदेशक, माध्यमिक शिक्षा, उदयपुर संभाग, उदयपुर द्वारा दिनांक 09.12.2015 को जारी किया गया। अपीलार्थी को 15.12.2015 को अध्यापक ग्रेड III के पद से मुक्त कर दिया गया था तथा 18.12.2015 को राजकीय माध्यमिक विद्यालय झेरमोटी, बांसवाड़ा में वरिष्ठ अध्यापक के पद पर कार्यभार ग्रहण कर लिया था। अपीलार्थी को दिनांक 16.12.2017 से आदेश दिनांक 10.01.2018 के द्वारा वरिष्ठ अध्यापक के पद पर स्थायी किया गया था। अपीलार्थी ने दिनांक 21.07.2018, 17.11.2018, 19.11.2018, 26.11.2018 और 05.12.2018 को भी अभ्यावेदन प्रस्तुत किया लेकिन अभी तक कुछ नहीं किया गया। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 08.02.2018 और विभाग के आदेश दिनांक 03.07.2018 के अनुसरण में अपीलार्थी वेतनमान और ग्रेड वेतन वृद्धि आदि के निर्धारण और संशोधन की सभी प्रक्रिया करने के बाद 13.8.2013 से 15.12.2015 तक के सभी एरियर का हकदार है और फिर एलपीसी दूसरे विभाग को दी जाए जहां उसने वरिष्ठ अध्यापक के रूप में कार्यभार संभाला है ताकि उसे तदनुसार वेतनमान में तय किया जा सके और उसे एरियर भी दिया जा सके। अपीलार्थी की ओर से न्याय की मांग के लिए 18.01.2018 (अनुलग्नक–4) द्वारा पंजीकृत डाक से नोटिस दिया गया था, लेकिन अपीलार्थी की शिकायत के निवारण के लिए कुछ नहीं किया गया, यहां तक कि नोटिस का जवाब भी नहीं दिया गया। अपीलार्थी को बकाया राशि न देने की विभाग की कार्रवाई, जैसा कि समान स्थिति वाले कर्मचारियों को दी गई है, अत्यधिक मनमानी, अनुचित, अनुचित और भेदभावपूर्ण है।

अतः अपीलार्थी की अपील को स्वीकार किया जाकर प्रत्यर्थी विभाग को निर्देश दिया जाए कि वे अपीलार्थी को नियमित वेतनमान, वेतन वृद्धि आदि में वेतन तय करने के पश्चात 13.8.2013 से 15.12.2015 तक का बकाया भुगतान करे और उसकी एलपीसी उस विभाग को जारी करें जहां वह कार्य कर रहा है और वह विभाग तदनुसार 16.12.2015 से वरिष्ठ अध्यापक के वेतनमान में उसका वेतन तय करे, ग्रेड वेतन वृद्धि स्वीकृत करे और संशोधित वेतनमान में उसका वेतन तय करे और उसे 9 प्रतिशत प्रति वर्ष ब्याज के साथ निर्धारण के सभी बकाया देवे।

प्रत्यर्थी विभाग की तरफ से जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि राजस्थान उच्च न्यायालय पीठ में एस.बी.सी.डब्लू. पीटीशन संख्या 1264/2009 श्री हरि सिंह व अन्य बनाम राज्य सरकार में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 17.8.2010 को निर्णय पारित कर अध्यापक ग्रेड–III (पद कोर्ड–22 व 25) की मेरिट लिस्ट को नये सिरे से बनाने व मेरिट में आने वाले अभ्यर्थीयों को दो माह में नियुक्ति प्रदान करने के आदेश प्रदान किये। माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 17.08.2010 की पालना में राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा संशोधित परिणाम जारी कर नवीन मेरिट लिस्ट बनाई गई जिसमें पद कोड 22 व 25 की वरीयता प्रभावित

हुई। जिन अभ्यर्थीयों के पूर्व में कथित प्रश्न को सही मानकर अंक प्रदान किये गये थे उनके प्राप्तांक में 2.72 अंक कम हो गये तथा जिन अभ्यर्थीयों के कथित प्रश्न को गलत मानकर अंक कम दिये गये तो उनके 2.72 अंक बढ गये। अंक कम होने से पूर्व में चयनित 171 अभ्यर्थी चयन से बाहर हो गये। पिटीशनर्स भी अंक कम होने से चयन से बाहर हो गये। आयोग द्वारा जारी संशोधित परिणाम के आधार पर पूर्व नियुक्त अपीलार्थी जिनका वरीयता अंक कम हो गये उनकी विभागीय आदेश दिनांक 17.3.2011 द्वारा इनकी की नियुक्ति को निरस्त कर सेवा समाप्त कर दी गई। अपीलार्थीगण श्री मुन्नाराम व अन्य 13 द्वारा सेवा समाप्ति के विरूद्ध माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या–2581/2011 दायर कर माननीय न्यायालय के आदेश दिनांक 25.3.2011 द्वारा जारी स्थगन आधार पर पुनः कार्यारम्भ किया गया। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में दायर डी. बी. स्पेशल अपील संख्या–207/2013 (अंतर्गत एस.बी. सिविल रिट पिटीशन संख्या–2581/2011) विनीता शर्मा व अन्य में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अपने निर्णय दिनांक 2.8.2013 द्वारा पिटीशनर्स की याचिका खारिज कर तथा पूर्व में प्रदत्त स्थगन आदेश को निरस्त कर मीनाक्षी शर्मा के प्रकरण संख्या–4145/2011 (एस.बी. सिविल रिट पिटीशन में पारित निर्णय दिनांक 19.5.2011) में दिये गये निर्देशों के अनुरूप विचार कर आदेश पारित करने के निर्देश प्रदान किये गये। उक्त निर्देशों की पालना में विभागीय आदेश दिनांक 11.9.2013 द्वारा इनकी सेवाऐं समाप्त कर दी गयी। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 10.8.2015 के द्वारा अपीलाथी को वरिष्ठ अध्यापक (हिन्दी) पद हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने के आदेश प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय की पालनार्थ विभागीय पत्र दिनांक 20.8.2015 के द्वारा अपीलार्थी को अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। प्रधानाध्यापक, राजकीय उच्च प्राथमिक संस्कृत विद्यालय, चांदरवाडा जिला बांसवाडा के द्वारा विद्यालय पत्र 15.12.2015 के द्वारा अपीलार्थी को राजकीय माध्यमिक विद्यालय झेरमोटी जिला बांसवाडा में वरिष्ठ अध्यापक (हिन्दी) हेतु दिनांक 15.12.2015 को कार्यमुक्त किया गया। विभाग को केवल पत्र दिनांक 19.11.2018 (अनुलग्नक–आर/1) द्वारा अपीलार्थी श्री सुरसिंह कलारा वरिष्ठ अध्यापक, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, झेरमोटी जिला बांसवाडा द्वारा एरियर राशि भुगतान एवं सेवाभिलेख भिजवाने हेतु पत्र प्राप्त हुआ। विभागीय स्तर से कार्मिक की वेतन स्थिरीकरण करने तथा एरियर भुगतान करने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। विभाग को अपीलार्थी के संबंध में notice for demand of justice दिनांक 20.12.2018 को प्राप्त हो गया था परंतु विभाग द्वारा उक्त नोटिस प्राप्त होने के पूर्व से ही अपीलार्थी के वेतन स्थिरीकरण करने व एरियर भुगतान करने के संबंध में कार्यवाही की जा रही है तथा प्रधानाचार्य,

राजकीय वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय, अरथूना जिला बांसवाडा से विभागीय पत्र दिनांक 19.12.2018 (अनुलग्नक–आर/2) द्वारा कार्मिक को विभाग में सेवारतकाल का वेतन भुगतान का विवरण चाहने तथा पत्र दिनांक 18.2.2019 (अनुलग्नक–आर/3) द्वारा वेतन सुरसिंह कलारा को भी अवगत करवाया गया है। अतः अपीलार्थी की अपील खारिज फरमाई जावे।

हमने उभय पक्ष के विद्वान् अधिवक्ता की अपील पर बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया गया।

प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी को नियमित वेतनमान, वार्षिक वेतन वृद्धि आदि में वेतन निर्धारण करने के पश्चात दिनांक 13.08.2013 से दिनांक 15.12.2015 तक का बकाया भुगतान करने एवं एलपीसी वर्तमान विभाग को जारी करने जहां अपीलार्थी वर्तमान में कार्य कर रहा है एवं तद्नुसार दिनांक 16.12.2015 से वरिष्ठ अध्यापक के संशोधित वेतनमान में उसका वेतन तय करने का अनुतोष चाहा गया है। अपीलार्थी सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील संख्या 7169/2014 में पारित निर्णय दिनांक 08.02.2018 द्वारा दिनांक 13.08.2013 से विधिवत चयनित एवं नियुक्त माने जाने से अध्यापक ग्रेड–III के पद पर दिनांक 13.08.2013 से 15.12.2015 तक चांदरवाडा, जिला बांसवाड़ा में कार्यरत रहा, जिसके पश्चात आरपीएससी द्वारा आयोजित वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा, 2013 में अपीलार्थी का चयन होने से विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर संस्कृत विद्यालय, चांदरवाड़ा से दिनांक 15.12.2015 को कार्यमुक्त होकर वरिष्ठ अध्यापक के पद पर पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, झेरमोटी, बांसवाड़ा में कार्यग्रहण किया। अपीलार्थी एवं अन्य कार्मिकों को माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सिविल अपील संख्या 7169/2014 मुन्नाराम एवं बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य में पारित निर्णय में दिनांक 13.08.2013 से जिस तिथि को स्पेशल लीव अपील दायर की गई है, से संस्कृत शिक्षा विभाग में नियमित रूप से माने जाने के आदेश पारित किए गए है। उक्त निर्णय के क्रम में प्रत्यर्थी विभाग को आदेश दिनांक 03.07.2018 द्वारा पारित निर्णय को राज्य स्तरीय स्थायी कमेटी द्वारा नो रिव्यू अपील दायर करने के निर्णय के फलस्वरूप अपीलार्थी एवं अन्य याचिकाकर्त्ताओं को समस्त परिलाभ दिए जाने के आदेश पारित किया गया। अपीलार्थी संस्कृत शिक्षा विभाग में पदस्थापन अवधि में नियत वेतन श्रृंखला में वेतन निर्धारण, वार्षिक वेतन वृद्धि की स्वीकृति, बकाया देय राशि का भुगतान चाहता एवं नये विभाग में एलपीसी भिजवाना चाहता ताकि नये विभाग में तद्नुसार वेतन निर्धारण हो सके। प्रत्यर्थी विभाग ने जवाब में निवेदन किया है कि इस संबंध में कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। साथ ही बहस में यह बताने में असमर्थ रहे कि अपीलार्थी को नियमानुसार राहत दी जा चुकी है।

अतः अपील स्वीकार कर प्रत्यर्थी विभाग को निर्देशित किया जाता है कि संस्कृत विभाग में अपीलार्थी के परिवीक्षाकाल संतोषजनक पूरा करने के पश्चात नियत वेतन श्रृंखला में वेतन नियतन एवं वार्षिक वेतन वृद्धि स्वीकृत की जाकर बकाया देय राशि का भुगतान अपीलार्थी को किया जावे एवं नियमानुसार एलपीसी नवीन विभाग को प्रेषित की जावे। नवीन (शिक्षा) विभाग तद्नुसार अपीलार्थी के वेतन की कार्यवाही सम्पादित करेगा। उक्त समस्त कार्यवाही तीन माह में सम्पादित करने हेतु प्रत्यर्थी विभाग को निर्देशित किया जाता है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य